भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद

विज्ञापन

1 मई, 2019

जी.एस.टी प्रैक्टिशनरो के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवँ नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन) को अधिसूचना सं॰ 24/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.05.2018 के तहत् केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनिमय, 2017 के नियम 83 के उप-नियम(3) के अनुसार जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों (जी.एस.टी.पी.) के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा आयोजित करवाने हेतु अधिकृत किया गया है।

नियम 83(2) के अधीन जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जी.एस.टी.पी, अर्थात जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनरों या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के तौर पर तत्कालीन कानून के अधीन कम से कम पांच वर्षों की नामांकन की पात्रता मापदंड को पूरा करते हों, उनको अधिसूचना सं॰ 03/2019- केन्द्रीय कर दिनांक 29.01.2019 के तहत्, उक्त परीक्षा को 31.12.2019 के पहले उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। ऐसे जी.एस.टी.पी. हेतु दो ऐसी परीक्षाएँ 31.10.2018 एवं 17.12.2018 को पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं । उनके लिए अगली परीक्षा भारत में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 14.06.2019 को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 13:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से (कंप्यूटर बेस्ड) होगी। इस परीक्षा हेतु योग्य जी.एस.टी.पी. द्वारा पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है, जिसका लिंक नासिन और सी.बी.आई.सी की वेबसाईटों पर उपलब्ध होगा। 14 जून 2019 की उक्त परीक्षा हेतु पंजीकरण पोर्टल **21 मई 2019 को खुलेगा और 4 जून, 2019 तक खुला रहेगा**। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक सहायता केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु पंजीकरण के समय 500/-रू की परीक्षा फीस का ऑनलाईन भुगतान अपेक्षित है।

परीक्षा का स्वरूप एवँ पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र : जी एस टी कानून एवँ प्रक्रियाएँ

समय: 2 घंटे 30 मिनट

बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या : 100

प्रश्नों की भाषा : अंग्रेजी एवँ हिंदी

अधिकतम अंक : 200

उत्तीर्णांक : 100

नकारात्मक अंकन नहीं है।

<u>पाठ्यक्रम:</u>

1. केन्द्रीय माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
2. एकीकृत माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
3. सभी राज्य माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
4. संघ क्षेत्र माल एवँ सेवा कर अधिनियम, 2017
5. माल एवँ सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6. केन्द्रीय माल एवँ सेवा कर विनियम, 2017
7. एकीकृत माल एवँ सेवा कर विनियम, 2017
8. सभी राज्य माल एवं सेवा कर विनियम, 2017
9. समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवँ आदेश।

टिप्पणी : जी.एस.टी. कानून एवं प्रक्रियाएँ निरंतर विकसित हो रहीं हैं, अतः इस परीक्षा हेतु उपरोक्त पाठ्यक्रम के विभिन्न मदों को 01.04.2019 की तिथि तक ही लिया जाएगा।

***